कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क्र./690/वाहन/2020 सिस्टम निविदा क्र.62046 कोरबा दिनांक 07.03.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा वार्षिक दर निर्धारण के अंतर्गत विभिन्न वाहनों के संचालन हेतु वाहन चालक,जे.सी.बी. आपरेटर एवं श्रमिक(वाहन) रखने के लिए निविदाकारों से फार्म "बी" ई–प्रोक्युरमेंट **(E-Tendring)** के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं–

क्र	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	अमानत राशि	कार्यावधि	निविदा खुलने की तिथि
1	**वार्षिक दर के निर्धारण के अंतर्गत विभिन्न वाहनों के संचालन हेतु वाहन चालक, जे.सी.बी. आपरेटर एवं श्रमिक(वाहन) रखने हेतु ।**	79,44,955/–	60,000/–	**01 वर्ष**	31.03.2020 से ....

शर्ते :–

1. निविदा प्रपत्र की ई–प्रोक्युरमेंट (E-Tendring) के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे।
2. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
3. निविदा के इच्छुक निविदाकारों को पंजीयन प्रमाण पत्र यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनर डीड) की सत्यप्रति जीवित लेबर लाइसेन्स प्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की प्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि की सत्य प्रतिलिपि, आयकर प्रमाण पत्र/पेन नं. एवं **जी.एस.टी.** पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि ऑनलाईन जमा करना होगा, तथा जमा की रसीद स्केन कर बेवसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
4. कर्मचारी भविष्य निधि संगठनं रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. प्लेसमेंट के कर्मचारियों की प्रातः कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं सायं कार्य समाप्ति के उपरांत, अर्थात दो बार निष्ठा एप उपस्थिति ली जाना अनिवार्य होगा।
6. निष्ठा एप उपस्थिति के आधार पर ही, प्लेसमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक, उनके बैक खाते में मात्र आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा। ई.पी.एफ. ईएससीआई. आदि की भी गणना कर, प्लेसमेंट द्वारा आर.टी.जी.एस. की गई राशि की मूल रसीद प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से निकाय को प्रस्तुत की जावेगी। निकाय द्वारा संविदा शर्तो के अनुसार प्लेंसमेंट एजेंसी की भुगतान/प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।
7. किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 20 ड्राईवर प्रदाय करने का अनुभव हो ।
8. निविदाकार को प्रदाय किये गये वाहन चालको के जीवित लाईट/हैवी लाइसेन्स सत्यापित प्रति कार्यालय में प्ररतुत करना अनिवार्य है।
9. प्रदाय किये गये वाहन चालक, जे.सी.बी. ऑपरेटर एवं श्रमिक(वाहन) की सुरक्षा, बीमा, चिकित्सा सुविधाएं, बोनस, प्रोविडेन्ट फन्ड आदि की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
10. वाहन चालक द्वारा चलाये गये वाहनों के लॉगबुक भरने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
11. वाहन चालक द्वारा चलाये गये वाहनों के पूर्ण भरे हुए लॉगबुक प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में सत्यापन/परीक्षण हेतु वाहन प्रभारी को उपलब्ध करवाने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
12. वाहनों का लॉगबुक निर्धारित समयावधि में नही भरने अथवा परीक्षण नही करवाने पर भुगतान नही किया जा सकेगा, जिसकी जवाबदारी निविदाकार की होगी।
13. निविदाकारो द्वारा प्रदाय किये गये वाहन चालक, जे.सी.बी. ऑपरेटर एवं श्रमिक(वाहन) को न्यूनतम कलेक्टर दर पर महीने के प्रथम सप्ताह में भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
14. प्रदाय किये गये वाहन चालक, आपरेटर एवं हेल्पर के कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना एंव असामायिक मृत्यु होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगा।
15. प्लेसमेंट पर कर्मचारी रखे जाने हेतु श्रम विभाग के समस्त नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
16. वाहन चालक/ऑपरेटर/श्रमिक(वाहन) के अवकाश की स्थिति में उसके स्थान पर दूसरे वाहन चालक/ऑपरेटर/ श्रमिक(वाहन) की व्यवस्था करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
17. प्रदाय किये गये वाहन चालक, जे.सी.बी. आपरेटर की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
18. निविदा उन्ही ठेकेदारो को दिया जावेगा। जिन्हे इस प्रकार के कार्यो का अनुभव हों।
19. निविदा अहस्तांतरणीय होगी एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।
20. बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा ।
21. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
22. ठेकेदारों/प्रदायकर्ताओं को उपरोक्त कार्य हेतु श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। ।

23. आवेदन के साथ 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यो की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग.भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।

24. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम कोरबा की वेब साईट www.korbamunicipal.in पर भी यह टेन्डर उपलब्ध है।

25. अन्य सूचनाएं नगर पालिक निगम साकेत भवन रामपुर कोरबा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION , KORBA (C.G.)

ESTIMATE

SUBJECT - Supply / Provinding Of Driver, Operator & Labour (veh) For Vehicle Operating as Per Annual Rate Contract at Municipal Corporation Korba.

No.	Item Of Work	Qty	Rate	Amount
1	Supply/Providing Of Driver, Operator & Labour for Vehicle Oerating as Per Annual Rate Contract at Municipal Corporation Korba.			
	Driver Per day/per person (39 Driver x 365 Days)	14235		
	J.C.B. Operator Per day/per person (04 Operator x 365 Days)	1460		
	Labour (veh) per day/per person (20 Labour x 365 Days)	7300		
			[illegible]	[illegible]

Sub Engineer,
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)

Asstt. Engineer,
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)

Executive Engineer,
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)